फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नाथु बनाम ओम

ख्या /वर्ष : 5 /20 21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/3/2021	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. एक तथा 4 की ओर अधिवक्ता श्री [illegible] ने दिनांक 4/3/2021 को एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 पठित आदेश 2 नियम 2 धारा 10 व 151 CPC प्रस्तुत कर वादपत्र को विधि विरुद्ध होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। जिनके द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी पक्ष का प्रार्थनापत्र विधि अनुरूप नहीं होने के कारण प्रार्थनापत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थनापत्र के बारे में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत वाद में ग्राम [illegible] तह० आमेर की ख.न. 442, 443, 440, [illegible]41, 444, 476 किता 7 कुल रकबा 2.57 हैक्ट० के बारे में विभाजन एवं	

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:02:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। उपस्थित प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि समान वादी द्वारा पूर्व में समान आराजीयात के बारे में एक समान आराजीयात अन्य वाद सं. 79/2019 बउनवानी नानू व अन्य बनाम दाबू एवं अन्य न्यायालय दावा के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय दावा द्वारा 7.11.2019 को decree कर निस्तारित कर दिया गया था। न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.11.19 के विरुद्ध एक नियमित अपील आज दिवस को सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा समान आराजीयात के बारे में दूसरा नया प्रकरण न्यायालय दावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि इस न्यायालय के मत में विधि अनुरूप नहीं है। उपस्थित प्रतिवादी [illegible] दस्तावेज प्रार्थनापत्र [illegible] अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया गया है किंतु इस न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:02:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

पालय: सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या /वर्ष : 05 /2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	मत में समान आक्षेपित के विरुद्ध में समान अनुतोष बाबत प्रस्तुत दस्तावेज पश्चात्वर्ती वाद को धारा 10 CPC के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु आस्थगित (stay) किया जाना विधिक है। तदनुसार उपस्थित प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र दिनांक 4.3.2021 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दस्तावेज पश्चात्वर्ती वाद की अग्रिम कार्यवाहियों को धारा 10 CPC के तहत स्थगित किया जाकर प्रकरण को इस स्तर पर फैसल प्रकरण शुमार किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जाता है। पश्चात्वर्ती stage वादी दस्तावेज वाद में आवश्यक होने पर अग्रिम कार्यवाहियां संचालित किये जाने हेतु [illegible] बाबत विधि अनुसार [illegible] आवेदन [illegible] फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे। वाद पत्र के मुताबिक पू०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:32:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पर अग्रिम कार्यवाही स्थगन बाबत नोट अंकित किया जाये। पत्रावली का कोई भाग न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना नष्ट नहीं किया जाये। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:02:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner